



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 861) पटना बुधवार 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

एस० ओ० 164 दिनांक 22 जुलाई 2026—सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 122 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों, सभी श्रम अधीक्षक, सभी श्रम अधीक्षक (अधिनियम), सभी सहायक श्रमायुक्त, सभी उप श्रमायुक्त, सभी संयुक्त श्रमायुक्त, अपर श्रमायुक्त एवं श्रमायुक्त, बिहार को निरीक्षक—सह—सुकारक नियुक्त करते हैं।

2. सभी निरीक्षक—सह—सुकारक अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

3. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/COSS-10-02/2025—156/श्र०सं०)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 165 एस० ओ० 164 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/COSS-10-02/2025—157/श्र०सं०)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

SO 164 date 22nd July 2026— In exercise of the powers conferred by section 122 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint all Labour Enforcement Officers, all Labour Superintendents, all Labour Superintendents (Act), all Assistant Labour Commissioners, all Deputy Labour Commissioners, all Joint Labour Commissioners, Additional Labour Commissioners and Labour Commissioner, Bihar as Inspector-cum-Facilitators for the purposes of the Code.

2. All Inspector-cum-Facilitators shall exercise their powers in accordance with the provisions of the Code within the local limits of their jurisdiction.

3. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/COSS-10-02/2025-156/L.R.)

By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 861-571+200-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>